न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर

क्रमांक / कोर्ट / 2025 / 1006 दिनांक : 06.08.2025

तहसीलदार,
तहसील, जालसू,
जिला जयपुर।

विषय :–प्रकरण संख्या 92 / 2024 बउनवानी रतनलाल बनाम कमला वगै0 में निर्णय व डिक्री दिनांक 04.08.2025 की पालना बावत्।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण संख्या 92 / 2024 बउनवानी रतनलाल बनाम कमला वगै0 में निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 04.08.2025 की छायाप्रति संलग्न कर भिजवाई जा रही है। यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो आप नियमानुसार निर्णय एवं डिक्री की पालना कर पालना रिपोर्ट अतिशिघ्र न्यायालय में भिजवायें।

संलग्नः–1. प्रतिलिपि निर्णय व डिक्री दिनांक 04.08.2025
2. नजरी नक्शा।

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.08.29 14:14:43 IST
Reason: SelfAttested

phone no. : 0141-2209013 (O) Email: acm.amer.jpr@gmail.com

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर

रतनलाल बनाम [illegible]

केस संख्या : 92/24

केस संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	25/7/2025	पत्रावली प्रस्तुत। व०फ०उप०/वादी ने आपत्ति [illegible] का जवाब/बहस नहीं की है उपयुक्त अ०तो० पेशी पर बहस/जवाब करें अन्यथा गुणावगुण के आधार पर निर्णय किया जावेगा। पत्रावली दिनांक 29/7/2025 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर
	29/7/25	पत्रावली आज दिनांक 29/7/25 को पेश हुई। दि डिस्ट्रिक्ट एड. बार एसो. जयपुर द्वारा कन्डोलेन्स की जाने से पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 31/7/25 को पेश हो।
	31/7/25	पत्रावली प्रस्तुत। व०फ०उप०। आपत्तिकर्ता की बहस सुनी। वादी ने समय चाहा। वास्ते बहस वादी दिनांक 5/8/25 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर
	5/8/25	पत्रावली प्रस्तुत। व०फ०उप०। आपत्ति पर वादी की बहस सुनी गई। प्रस्तुत तर्कों के आधार पर आपत्ति खारिज करते हुए तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुरैनात के आधार पर वाद डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय एवं डिक्री पृथक से जारी किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल [illegible] हो। [signature] सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

तहसीलदार (जालसू)
1006
06.08.2025

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.08.29 14:14:43 IST
Reason: SelfAttested

[signature] 1/6/325

नक्शा नजरिया

ग्राम - पुनाना

तहसील जालसू

जिला - जयपुर

पैमाना - 1 cm = 40 m.

रतनलाल पुत्र रामचन्द

लादूराम, राजेन्द्र पि० रामचन्द कमला देवी, लक्ष्मी देवी, मंजू देवी पुत्रियान रामचन्द, बदरी पुत्र झूथा

लादूराम, रतन लाल, राजेन्द्र पि० रामचन्द, कमला देवी लक्ष्मी देवी मंजू देवी पुत्रियान रामचन्द बदरी पुत्र झूथा

भू.अ. जालसू
9/6/2025

प.अ.पुनाना
9-6-2025

9.6.'25
उप तहसीलदार
मुण्डोता तह.- जालसू

09/6/25
तहसीलदार (भू.अ.)
तहसील, जालसू

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.08.29 14:14:43 IST
Reason: SelfAttested

माननीय न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट आमेर मु.जयपुर के वाद संख्या 92/2024 उनवान रतनलाल बनाम कमला देवी वगैरह में निर्णय व डिक्री दिनांक 14/5/25 की पालना में ग्राम पूनाना आराजी खसरा न. 937, 954, 955, 956, 963 कुल किता-5 रकबा-1.60हे. पर कुरेजात रिपोर्ट तैयार करने हेतु नोटिस दिनांक 28/5/25 की पालना में आज दिनांक 9/6/2025 को बहमराह उपतहसीलदार जालसू भू.अ.नि. वृत जयसिंहपुरा प.ह. पूनाना के साथ मौके पर उभयपक्षकारान की उपस्थिति में निम्न प्रकार कुरेजात रिपोर्ट तैयार की गयी :-

जमाबंदी अनुसार वर्तमान प्रविष्टि					कुरेजात रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित प्रविष्टि					
जमाबंदी अनुसार वर्तमान खातेदार	ख. न.	रकबा	किस्म	लगान	क्र. स.	प्रस्तावित प्रविष्टि कुरेजात रिपोर्ट अनुसार	ख.न.	रकबा	किस्म	लगान
① कमला देवी पुत्री रामचन्द्र हि० 1/14 जाति बागड़ा ब्राह्मण सा० देह खातेदार	937	1.40	चारी 3 0.51 जाव 3 0.89	42.52	1	रतनलाल पुत्र रामचन्द्र जाति बागड़ा ब्राह्मण सा० देह खातेदार	963/1	0.3283	बारानी 3	
						कुल योग	1	0.3283		
② प्रभाती देवी पत्नि रामचन्द्र हिस्सा 1/14 जाति बागड़ा ब्राह्मण सा० देह खातेदार	954 955	0.50 0.99	बारानी 3 बारानी 3		2	① कमला देवी पुत्री रामचन्द्र हि० 1/12 जाति बागड़ा ब्राह्मण सा० देह खातेदार	[illegible]	0.[illegible]	चाही 3 0.51 जाव 3 0.89 बारानी 3	
③ बदरी पुत्र झूंथा हि० 1/2 जाति बागड़ा ब्राह्मण सा० देह खातेदार शामिल हिस्सा 1/2 (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर शाखा आमेर	956	1.34	चाही 2 0.54 जाव 2 0.80			② बदरी पुत्र झूंथा हि० 1/2 जाति बागड़ा ब्राह्मण सा० देह खातेदार शामिल हि० 1/2 (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर शाखा आमेर	956	[illegible]	चाही 2 0.54 जाव 2 0.80	
	963	0.37	बारानी 3			③ मंजू देवी पुत्री रामचन्द्र हि० 1/12 जाति बागड़ा ब्राह्मण सा० देह खातेदार	963/2	0.0417	बारानी 3	
④ मन्जू देवी पुत्री रामचन्द्र हि० 1/14 जाति बागड़ा ब्राह्मण सा० देह खातेदार						④ राजेन्द्र पुत्र रामचन्द्र हि० 1/12 जाति बागड़ा ब्राह्मण सा० देह खातेदार				
⑤ रतनलाल पुत्र रामचन्द्र हि० 1/14 जाति बागड़ा सा० देह खाते०						⑤ लक्ष्मी देवी पुत्री रामचन्द्र हि० 1/12				

भू.अ.नि. जयसिंहपुरा 9/6/2025

प.ह. पूनाना 9-6-2025

उप तहसीलदार मुण्डोता तह.-जालसू

09/6/25 तहसीलदार (भू.अ.) तहसील, जालसू

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.08.29 14:14:43 IST
Reason: SelfAttested

वाद सं० 92/2024 रतनलाल बनाम कमला देवी

जमाबंदी अनुसार वर्तमान प्रविष्टि					कुरेजात रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित प्रविष्टि					
जमाबंदी अनुसार वर्तमान खातेदार	ख. न.	रकबा	किस्म	लगान	क्र. स.	प्रस्तावित प्रविष्टि कुरेजात रिपोर्ट अनुसार	ख.न.	रकबा	किस्म	लगान
(6) राजेन्द्र पुत्र रामचन्द्र हिस्सा 1/14 जाति बागड़ा ब्राह्मण सा० देह खातेदार (7) लक्ष्मीदेवी पुत्री रामचन्द्र हि० 1/14 जाति बागड़ा ब्राह्मण सा० देह खातेदार (8) लादूराम पुत्र रामचन्द्र हि० 1/14 जाति बागड़ा ब्राह्मण सा०देह खातेदार						जाति बागड़ा ब्राह्मण सा०देह खातेदार (6) लादूराम पुत्र रामचन्द्र हि० 1/12 जाति बागड़ा ब्राह्मण सा. देह खातेदार				
						कुल खसरा	04	3.7717		
कुल खसरा	05	4.60		42.52	3	(1) कमला देवी पुत्री रामचन्द हि० 1/12 जाति बागड़ा ब्राह्मण सा०देह खातेदार (2) बदरी पुत्र झूंथा हि० 1/2 जाति बागड़ा ब्राह्मण सा०देह खातेदार रहिन हि० 1/2 (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा आमेर (3) मंजू देवी पुत्री रामचन्द हि० 1/12 जाति बागड़ा ब्राह्मण सा० देह खातेदार (4) रतनलाल पुत्र रामचन्द्र हि० 1/12 जाति बागड़ा ब्राह्मण सा. देह खातेदार (5) राजेन्द्र पुत्र रामचन्द्र हि० 1/12 जाति बागड़ा ब्राह्मण सा०देह खातेदार	954	5.50	बारानी 3	1.00

Sumitra
पटवार जयसिंहपुरा
9/6/2025

भू०अ० मुण्डोता
9-6-2025

09/6/25
उप तहसीलदार
मुण्डोता तह.-आमेर

09/6/25
तहसीलदार (भू.अ.)
तहसील आमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.08.29 14:14:43 IST
Reason: SelfAttested

वाद सं० 92/2024 रतनलाल बनाम कमला देवी (3)

जमाबंदी अनुसार वर्तमान प्रविष्टि					कुरेजात रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित प्रविष्टि					
जमाबंदी अनुसार वर्तमान खातेदार	ख. न.	रकबा	किस्म	लगान	क्र. सं.	प्रस्तावित प्रविष्टि कुरेजात रिपोर्ट अनुसार	ख.न.	रकबा	किस्म	लगान
						(6) लाडली देवी पुत्री रामचन्द्र हि० 1/12 जाति बागड़ा ब्राह्मण सा० देह खातेदार (7) आदूराम पुत्र रामचन्द्र हि० 1/12 जाति बागड़ा ब्राह्मण सा० देह खातेदार				
						कुल रकबा		.50		1.00

नोट :- खातेदार प्रभाती देवी पत्नि रामचन्द्र जाति बागड़ा [illegible] के फौत (मृत्यु) होने पर खातेदार के हिस्से की भूमि को वारिसान क्रमश: आदूराम, राजेन्द्र, रतनलाल पुत्रान रामचन्द्र व कमला [illegible] देवी, लाडली देवी पुत्रियान रामचन्द्र को बराबर-बराबर [illegible] दर्ज की जाती है।

[signature] ग्राम उपनिवेशक 09/6/2025

[signature] 9-6-2025

[signature] 09/6/25
उप तहसीलदार
गुण्डोता तह.- जालसू

[signature] 09/6/25
तहसीलदार (भू.अ.)
तहसील, जालसू

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.08.29 14:14:43 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर
मुख्यालय जयपुर (राज.)
पीठासीन अधिकारी : सुमन चौधरी
आर.ए.एस.

नियमित वाद संख्या – 92/2024 वाद प्रस्तुति दिनांक – 25.10.2024

रतन लाल पुत्र रामचन्द्र जाति बागडा ब्राह्मण निवासी ग्राम पूनाना तहसील जालसू जिला जयपुर ग्रामीण।

–वादी

बनाम

1. कमला देवी पुत्री रामचंद्र
2. प्रभाती देवी पत्नी रामचन्द्र
3. मंजू देवी पुत्री रामचन्द्र
4. राजेन्द्र पुत्र रामचन्द्र
5. लक्ष्मी देवी पुत्री रामचन्द्र
6. लादूराम पुत्र रामचन्द्र
7 बदरी पुत्र झूथां

समस्त जाति बागडा ब्राह्मण निवासी ग्राम पूनाना तहसील जालसू जिला जयपुर ग्रामीण।

8 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील जालसू जिला जयपुर।

9 उपपंजीयक कार्यालय जालसू तहसील जालसू जिला जयपुर ।

–प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत – 53, 188 अन्तर्गत अधिनियम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955

दिनांक 04.08.2025

हस्तगत वाद पत्र में वादी द्वारा अंकित किया गया है कि राजस्व ग्राम पूनाना पटवार हल्का पूनाना भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जयसिंहपुरा तहसील जालसू जिला जयपुर ग्रामीण में स्थित खाता सख्या नया 130 पुराना 121 के खसरा नम्बर 937 रकबा 1.4000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 954 रकबा 0.5000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 955 रकबा 0.9900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 956 रकबा 1.3400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 963 रकबा 0.3700 हैक्टेयर कुल 5 कुल रकबा 4.6000 हैक्टेयर स्थित है। जिसमें वादी हिस्सा 1/14 राजस्व रिकोर्ड में दर्ज व अंकित है। तथा शेष हिस्सानुसार राजस्व रिकोर्ड जमाबंदी में प्रतिवादीगण का नाम दर्ज होकर वादीगण व प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्से पर काबिज होकर उपरोक्त खसरा चले आ रहे है। वादी उपरोक्त वर्णित खाते की उपरोक्त वर्णित रकबा भूमि में अपने हिस्से की भूमि पर रिकार्डेड खातेदार काश्तकार की हैसियत से निरन्तर काबिज होता चला आ रहा है और अपने हिस्से अनुसार राजस्व लगान अदा करता आ रहा है। उपरोक्त वर्णित खसरान् की भूमि को एतद्धश्चात् "वादअधीन कृषि भूमि" शब्द से संबोधित किया जा रहा है। वाद अधीन कृषि भूमि का विधिक तकासमा नहीं हुआ है इसलिये वादी एंव प्रतिवादीगण संयुक्त रूप

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.08.29 14:14:43 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

से उक्त वर्णित रकबा भूमि पर निरन्तर काबिज चले आ रहें है। चूँकि वाद अधीन कृषि भूमि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 की संयुक्त खातेदारी में दर्ज एंव अंकित चली आ रही है इसलिये वादी ने समय–समय पर प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 को वाद अधीन कृषि भूमि का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विधिक विभाजन करवाने हेतु कहा। पूर्व में तो प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विधिक विभाजन करवाने हेतु हामी भरतें रहें परन्तु अब चूँकि कृषि भूमियों की बाजार दर में अत्यधिक वृद्धि हो चुकी है इसलिये प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 की नियत में फितुर आ गया और वाद अधीन कृषि भूमि का विधिक विभाजन करवाये बिना ही वादग्रस्त आराजी को विक्रय हस्तान्तरण, खुर्द–बुर्द कर विक्रय करने हेतु उतारू हो गये। जबकि विधि अनुसार जब तक संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि का विधिक विभाजन नहीं हो जाता है तब तक संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि का विक्रय–हस्तान्तरण एवं निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता है। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 उक्त गैर कानूनी व विधि विरुद्ध तरीके से वादी को वाद अधीन कृषि भूमि के विशिष्ठ भू–भाग से बेदखल करने एंव प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 विशिष्ठ भू–भाग पर कब्जा कर एंव विशिष्ठ भू–भाग पर विक्रय हस्तान्तरण, खुर्द बुर्द करने पर उतारू है इस संबंध में वादी ने प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 को दिनांक 12–10–2024 को वादअधीन भूमि का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स में विधिक विभाजन कराने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 ने बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स में विधिक विभाजन कराने हेतु साफ इन्कार कर दिया तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 ने वादी को एलानियां धमकी दी कि वाद अधीन कृषि भूमि के विशिष्ठ भू–भाग पर वह विक्रय हस्तान्तरण करेगें तथा उसके कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल कर दम लेगें। इसलिये तुम वाद अधीन कृषि भूमि के विशिष्ठ भू–भाग से अपना कब्जा हटा लो अन्यथा बाहुबल के आधार पर तुमको बेदखल कर दिया जायेगा। जबकि प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 को ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार हासिल नहीं है। चूँकि वाद अधीन कृषि भूमि का विधिक विभाजन नहीं हुआ है इसलिये प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 को वाद अधीन कृषि भूमि के विशिष्ठ भू–भाग को, विक्रय–हस्तान्तरण एंव खुर्द–बुर्द करने एंव वादी को विशिष्ठ भू–भाग से बेदखल करने के कोई विधिक अधिकार हासिल नहीं है। चूँकि प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 कानून को ताक में रख कर कानून को हाथ में लिया है तथा गैर कानूनी तरीके से वादी को उसके खातेदारी व विधिक अधिकारों से वंचित करने पर तुले हुए है इसलिये वादी वाद अधीन कृषि भूमि का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स में विधिक विभाजन करवा कर अपने हिस्से की खातेदारी व कब्जा–काश्तशुदा कृषि भूमि को अपनी पृथक खातेदारी में दर्ज करवाने, राजस्व लगान एंव राजस्व नक्शा पृथक करवाने का अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.08.29 14:14:43 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

वाद प्रस्तुति के उपरान्त प्रकरण नियमानुसार दर्ज पंजिका किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण आदेशित किया गया।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 वावजूद तामील नोटिस अनुपस्थित रहने पर दिनांक 20.03.2025 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई। बहस सुनी जाकर वादी का वाद वाई मीटस एंड वाउंडस के आधार पर प्राथमिक डिक्री किया गया तदनुसार तहसीलदार जालसू जयपुर को निर्देशित किया गया कि वे राज0 टीनेन्सी (वोर्ड ऑफ रेवेन्यू) रुल्स के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए वाके ग्राम पूनाना पटवार हल्का पूनाना भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जयसिंहपुरा तहसील जालसू जिला जयपुर ग्रामीण स्थित आंराजी खाता सख्या नया 130 पुराना 121 के खसरा नम्बर 937 रकबा 1.4000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 954 रकवा 0.5000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 955 रकबा 0.9900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 956 रकबा 1.3400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 963 रकबा 0.3700 हैक्टेयर कुल 5 कुल रकबा 4.6000 हैक्टेयर भूमि का बाई मीट्स एंड बाउंड्स के आधार पर तकासमा कर जमाबंदी में अंकित हिस्से अनुसार कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा तीन प्रतियों में भिजवाने हेतू आदेशित किया गया।

तहसीलदार जालसू ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक / भू0अ0 / 2025 / 2155 दिनांक 19.06.2025 के द्वारा कुर्रेजात प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित किये गये। उभयपक्ष की कुर्रेजात पर बहस सुनी गई।

प्रतिवादी संख्या 7 ने आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश कर जाहिर किया की कुर्रेजात प्रस्ताव में केवल वादी का तकासमा किया गया है तथा वादी के अन्य भाई सहखातेदार काश्तकार आपस में भाईयों का विवाद होता है तथा प्रार्थी व वादी के मध्य तकासम बाबत सहमति प्रदान की गई थी उसके बावजूद प्रार्थी को कुर्रेजात रिपोर्ट मे शामिल नहीं किया गया ना ही कोई नोटिस दिया गया। तहसीलदार द्वारा रेवून्यू रूल्स नियम 18 से 21 की पालना भी नहीं की है तथा कुर्रेजात कार्यालय में बैठकर बनाई गई है इसलिए पुनः कुर्रेजात मंगवाये जावे।

बहस आपत्ति सुनी गई। पक्षकारान को उनके हिस्सेनुसार रास्ते की ओर समुचित व्यवस्था करते हुये कुर्रेजात [illegible] कर विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये है। प्रतिवादी संख्या 7 [illegible] रिपोर्ट के संबंध में कोई न्याय संगत ऐतराज प्रस्तुत नहीं किया कि किसी भी पक्ष को उसके हिस्से से अधिक भूमि दिया जाना प्रस्तावित किया हो अथवा रास्ते की समुचित व्यवस्था नही हों। अतः प्रतिवादी 7 की आपत्ति खारिज करते हुए तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर दावा निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है :—

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.08.29 14:14:43 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

1. रतनलाल पुत्र रामचंद्र जाति बागडा ब्राह्मण सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 963 / 1 रकबा 0.3283 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

प्रकरण संख्या – 92/2024
...नवानी – रतनलाल बनाम कमला देवी वगै0
निर्णय दिनांक :– 04.08.2025

2. कमला देवी पुत्री रामचंद्र हि. 1/12 जाति बागडा ब्राहम्ण सा. देह खातेदार, बदरी पुत्र झूंथा हि. 1/2 जाति बागडा ब्राहम्ण सा. देह खातेदार राहिन हि. 1/2 (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर शाखा आमेर, गंजू देवी पुत्र रामचंद्र हि. 1/12 जाति बागडा ब्राहम्ण सा. देह खातेदार, राजेन्द्र पुत्र रामचंद्र हि. 1/12 जाति बागडा ब्राहम्ण सा. देह खातेदार, लक्ष्मी देवी पुत्र रामचंद्र हि. 1/12 जाति बागडा ब्राहम्ण सा. देह खातेदार, लादूराम पुत्र रामचंद्र हि. 1/12 जाति बागडा ब्राहम्ण सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 937 रकबा 1.40 हैक्टेयर, 955 रकबा 0.99 हैक्टेयर, 956 रकबा 1.34 हैक्टेयर, 963/2 रकबा 0.0417 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 3.7717 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

3. कमला देवी पुत्र रामचंद्र हि. 1/12 जाति बागडा ब्राहम्ण सा. देह खातेदार, बदरी पुत्र झूंथा हि. 1/2 जाति बागडा ब्राहम्ण सा. देह खातेदार राहिन हि. 1/2 (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर शाखा आमेर, गंजू देवी पुत्री रामचंद्र हि. 1/12 जाति बागडा ब्राहम्ण सा. देह खातेदार, रतनलाल पुत्र रामचंद्र हि. 1/12 जाति बागंडा ब्राहम्ण सा. देह खातेदार, राजेन्द्र पुत्र रामचंद्र हि. 1/12 जाति बागडा ब्राहम्ण सा. देह खातेदार, लक्ष्मी देवी पुत्री रामचंद्र हि. 1/12 जाति बागडा ब्राहम्ण सा. देह खातेदार, लादूराम पुत्र रामचंद्र हि. 1/12 जाति बागडा ब्राहम्ण सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 954 रकबा 0.50 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट एवं नक्शा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे। उभयपक्ष को मुताबिक निर्णय अनुसार जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे एक दूसरे के हिस्से में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करेंगे। निर्णय एवं डिक्री की पालना हेतु तहसीलदार जालसू को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.08.29 14:14:43 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर

अन्तिम डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई
(ऑ 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)
पीठासीन अधिकारी : सुमन चौधरी
आर.ए.एस

नियमित वाद संख्या – 92 / 2024 वाद प्रस्तुति दिनांक – 25.10.2024

रतन लाल पुत्र रामचन्द्र जाति बागडा ब्राह्मण निवासी ग्राम पूनाना तहसील जालसू जिला जयपुर ग्रामीण।

–वादी

बनाम

1. कमला देवी पुत्री रामचंद्र
2. प्रभाती देवी पत्नी रामचन्द्र
3. मंजू देवी पुत्री रामचन्द्र
4. राजेन्द्र पुत्र रामचन्द्र
5. लक्ष्मी देवी पुत्री रामचन्द्र
6. लादूराम पुत्र रामचन्द्र
7 बदरी पुत्र झूथां

समस्त जाति बागडा ब्राह्मण निवासी ग्राम पूनाना तहसील जालसू जिला जयपुर ग्रामीण।

8 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील जालसू जिला जयपुर।

9 उपपंजीयक कार्यालय जालसू तहसील जालसू जिला जयपुर ।

–प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत – 53, 188 अन्तर्गत अधिनियम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955

तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर दावा निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है:–

1. रतनलाल पुत्र रामचंद्र जाति बागडा ब्राह्म्ण सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 963 / 1 रकबा 0.3283 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
2. कमला देवी पुत्री रामचंद्र हि. 1 / 12 जाति बागडा ब्राह्म्ण सा. देह खातेदार, बदरी पुत्र झूंथा हि. 1 / 2 जाति बागडा ब्राह्म्ण सा. देह खातेदार रहिन हि. 1 / 2 (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर शाखा आमेर, मंजू देवी पुत्री रामचंद्र हि. 1 / 12 जाति बागडा ब्राह्म्ण सा. देह खातेदार, राजेन्द्र पुत्र रामचंद्र हि. 1 / 12 जाति बागडा ब्राह्म्ण सा. देह खातेदार, लक्ष्मी देवी पुत्री रामचंद्र हि. 1 / 12 जाति बागडा ब्राह्म्ण सा. देह खातेदार, लादूराम पुत्र रामचंद्र हि. 1 / 12 जाति बागडा ब्राह्म्ण सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 937 रकबा 1.40 हैक्टेयर, 955 रकबा 0.99 हैक्टेयर, 956 रकबा 1.34 हैक्टेयर, 963 / 2 रकबा 0.0417 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 3.7717 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
3. कमला देवी पुत्र रामचंद्र हि. 1 / 12 जाति बागडा ब्राह्म्ण सा. देह खातेदार, बदरी पुत्र झूंथा हि. 1 / 2 जाति बागडा ब्राह्म्ण सा. देह खातेदार रहिन हि. 1 / 2 (पूर्ण खाता) स्टेट

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.08.29 14:14:43 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण संख्या — 92/2024
राजस्व — रतनलाल बनाम कमला देवी वगै0
निर्णय दिनांक :— 04.08.2025

बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर शाखा [illegible] पुत्री रामचंद्र हि. 1/12 जाति बागडा ब्राहम्ण सा. देह खातेदार, रतनलाल पुत्र रामचंद्र हि. 1/12 जाति बागडा ब्राहम्ण सा. देह खातेदार, राजेन्द्र पुत्र रामचंद्र हि. 1/12 जाति बागडा ब्राहम्ण सा. देह खातेदार, लक्ष्मी देवी पुत्री रामचंद्र हि. 1/12 जाति बागडा ब्राहम्ण सा. देह खातेदार, लादूराम पुत्र रामचंद्र हि. 1/12 जाति बागडा ब्राहम्ण सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 954 रकबा 0.50 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट एवं नक्शा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे। उभयपक्ष को मुताबिक निर्णय अनुसार जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे एक दूसरे के हिस्से में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करेंगे। निर्णय एवं डिक्री की पालना हेतू तहसीलदार जालसू को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत से आज तारीख 04.08.2025 को जारी किया।

दस्तखत———
ओहदा———

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	—	स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	—
स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये		स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये	
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत् इजराय हुक्मानामा	4 रूपये		बबत् इजराय हुक्मानामा	4 रूपये	
मुतफरित			मुतफरित		
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.08.29 14:14:43 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर